झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान– सभा

द्वादश (मॉनसून) सत्र

वर्ग– 05

13 श्रावण, 1945 (श0)

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– .... को 04 अगस्त, 2023 (ई0)

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
188–	स– 03	श्री कमलेश कुमार सिंह	चिकित्सकों का पदस्थापन।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	23.07.2023
189–	स– 16	श्री नलिन सोरेन	भवन हस्तगत करना।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	26.07.2023
190–	स– 04	श्री राज सिन्हा	चिकित्सकों एवं स्टाफ की नियुक्ति।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	23.07.2023
191–	रा0– 07	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	25.07.2023
192–	रा0– 14	श्रीमती सुनिता चौधरी	दोषियों पर कार्रवाई।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	27.07.2023
193–	श्रनि– 04	श्री रामचन्द्र सिंह	प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।	श्रम,नि0 प्र0 एवं कौशल विकास	27.07.2023
194–	स– 02	श्री विकास कुमार मुण्डा	स्वास्थ्य केन्द्र का जीर्णोद्वार	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	23.07.2023
195–	स– 14	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	25.07.2023

01.	02.	03.	04.	05.	06
196	रा0— 11	सुश्री अम्बा प्रसाद	भूमि हस्तांतरण को निरस्त करना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	26.07.2023
197	रा0— 04	श्रीमती सुनिता चौधरी	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	23.07.2023
198	रा0— 13	श्री राजेश कच्छप	दखल दिहानी दिलाना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	26.07.2023
199	श्रनि— 01	डॉ0 लम्बोदर महतो	I.T.I चालू कराना।	श्रम,नि0 प्र0 एवं कौशल विकास	23.07.2023
200	स— 07	सुश्री अम्बा प्रसाद	ब्लड बैंक की स्थापना।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	25.07.2023
201	रा0— 09	श्री विनोद कुमार सिंह	अवैध निर्माण हटाना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	25.07.2023
202	स— 05	श्री कमलेश कुमार सिंह	चिकित्सक का पदस्थापना।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	23.07.2023
203	स— 06	श्री मथुरा प्रसाद महतो	कर्मचारी तथा चिकित्सक बहाल करना।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	23.07.2023
204	रा0— 10	श्री उमाशंकर अकेला	पदाधिकारी पर कार्रवाई।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	25.07.2023
205	रा0— 08	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	दण्डात्मक कार्रवाई।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	25.07.2023
* 206	श्रनि— 03	डॉ0 इरफान अंसारी	ए0एन0एम0 में प्रशिक्षण प्रारंभ करना।	श्रम,नि0 प्र0 एवं कौशल विकास	27.07.2023
207	रा0— 05	श्री निरल पुरती	रैयतों को मुआवजा देना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	25.07.2023
208	स— 10	श्री दशरथ गागरई	अस्पताल का निर्माण।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	25.07.2023
209	स— 09	डॉ0 लम्बोदर महतो	फिजियोथेरेपिस्ट काउन्सिल में मान्यता देना।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	25.07.2023
210	रा0— 01	श्री ढुलू महतो	विस्थापन एवं पुर्नवास आयोग का गठन।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	23.07.2023

01.	02.	03.	04.	05.	06
211– राO–	02	श्री भानु प्रताप शाही	मुआवजा का भुगतान करना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	23.07.2023
212– स–	12	श्री समीर कुमार मोहन्ती	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ऑपरेशन की व्यवस्था कराना।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	25.07.2023
213– राO–	12	श्री अमित कुमार मंडल	पदाधिकारी एवं कर्मी पर कार्रवाई।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	26.07.2023
214– स–	15	श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता	चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	26.07.2023
# 215– श्रनि–	02	श्री उमाशंकर अकेला	विस्थापितों को नौकरी देना।	श्रम,नि0 प्र0 एवं कौशल विकास	23.07.2023
216– राO–	06	श्री किशुन कुमार दास	पुर्नवास एवं मुआवजा देना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	25.07.2023
217– स–	17	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	मेडिकल कॉलेज खोलना।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	27.07.2023
218– स–	08	श्री किशुन कुमार दास	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करना।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	25.07.2023
219– स–	01	श्री अनन्त कुमार ओझा	स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	23.07.2023
220– स–	13	श्री विनोद कुमार सिंह	विशेषज्ञ चिकित्सकों का पदस्थापन।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	25.07.2023
221– राO–	03	श्री मथुरा प्रसाद महतो	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हस्तांतरण करना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार	23.07.2023
222– स–	18	डॉ0 इरफान अंसारी	मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	27.07.2023
223– स–	11	डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता	एंटी बेनम इंजेक्शन उपलब्ध कराना।	स्वा0,चि0शि0एवं परिवार कल्याण	25.07.2023

* श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के ज्ञापांक– 1332, दिनांक– 28.07.2023 द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में स्थानान्तरित।

श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के ज्ञापांक– 1333, दिनांक– 28.07.2023 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक– 04 अगस्त, 2023 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झा संख्या– झा0वि0स0 (प्रश्न)–06/20–2030/वि0स0, रांची, दिनांक– 31/07/23

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

सरोज 31/7/23
(सरोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0 (प्रश्न)–06/20–2030/वि0स0, रांची, दिनांक– 31/07/23

प्रतिः– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सविव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सरोज 31/7/23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– झा0वि0स0 (प्रश्न)–06/20–2030/वि0स0, रांची, दिनांक– 31/07/23

प्रतिः– कार्यवाही शाखा/वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, जे0भी0एस0 टी0भी0 शाखा, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

सरोज 31/7/23
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष/

31.07.23

(188)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– 03 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत अनुमण्डलीय अस्पताल हुसैनाबाद में Physician, Surgeon, Gynecologist, Orthopedicion, Anaesthetist एवं Rediologist एक–एक पद स्वीकृत है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत अनुमण्डलीय अस्पताल हुसैनाबाद में खण्ड–01 में वर्णित स्वीकृत पदों के विरूद्ध एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थापित नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद के विरूद्ध अनुमण्डलीय अस्पताल हुसैनाबाद में विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थापित नहीं हैं। अनुमण्डलीय अस्पताल, हुसैनाबाद में निम्न चिकित्सक पदस्थापित हैं– 1. डॉ0 रीता कुमारी, MBBS (MS, GYNE)– स्त्री रोग विशेषज्ञ 2. डॉ0 मुकेश कुमार सिंह, MBBS (MS) 3. डॉ0 दीपक कुमार सिन्हा, MBBS (ALSAS) 4. डॉ0 शशिभूषण, दन्त चिकित्सक, (BDS, MDS) 5. डॉ0 नीलम लकड़ा, दन्त चिकित्सक, (BDS) 6. डॉ0 आरिफ नैयर, MBBS 7. डॉ0 अनिता सोनी, MBBS (प्रतिनियुक्त) 8. डॉ0 पी0एन0 सिंह, चिकित्सक (RBSK) 9. डॉ0 विकास कुमार गुप्ता, चिकित्सक (RBSK) 10. श्रीमती डॉ0 स्नेहलता, चिकित्सक (RBSK) 11. डॉ0 मंजुर आलाम, (RBSK) इनमें डॉ0 रीता कुमारी, MBBS (MS, GYNE) स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉ0 मुकेश कुमार सिंह, MBBS (MS) एवं डॉ0 दीपक कुमार सिन्हा, MBBS (ALSAS) से विशेषज्ञ चिकित्सा की सुविधा ली जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अनुमण्डलीय अस्पताल हुसैनाबाद में विशेषज्ञ चिकित्सकों की स्वीकृत पद के विरूद्ध यथाशीघ्र पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विशेषज्ञ चिकित्सकों के नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–31/2023 856 (3) राँची, दिनांक: 31.07.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1759/वि0स0 दिनांक 23.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.07.2023
सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–31/2023 856 (3) राँची, दिनांक: 31.07.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.07.2023
सरकार के अपर सचिव

189

श्री नलिन सोरेन , माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.08.2023 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं0–16 के संबंध में।

क्र0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का शिकारीपाड़ा विधान सभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है तथा यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा खेती/किसानी व मजदूरी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात है सही है कि प्रखण्ड काठीकुण्ड के ग्राम–चित्रा पंचायत–चित्रा में पी0 एच0 सी0 का निर्माण कराया गया है, जो दो साल के बाद भी विभाग द्वारा अबतक हस्तगत नहीं किया गया है,	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रखंड काठीकुंड के ग्राम झिकरा में भवन प्रमंडल द्वारा स्वा0 उपकेन्द्र भवन निर्माण कराया गया है। जिसमें आंशिक रूप से फिनिसिंग कार्य बाकी है।
3	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त पी0 एच0 सी0 भवन अगल–बगल 15/20 अनुसूचित जनजाति बहुल गांव टोले के लोगों को पी0 एच0 सी0 चालू नहीं होने के कारण ईलाज हेतु परेशानी उठाना पड़ता है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, झिकरा में वहाँ के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही है। दवाई की पर्याप्त व्यवस्था है तथा विशेष चिकित्सा की आवश्यकता पड़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काठीकुंड में एम्बुलेंस उपलब्ध है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में भवन हस्तगत कर चिकित्सक/चिकित्सा कर्मी उपकरण व दवाईयों आदि उपलब्ध कराकर चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	स्वास्थ्य उपकेन्द्र झिकरा के भवन को हस्तगत कराने हेतु विभागीय पत्रांक–796(5), दिनांक–01.08.2023 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल, दुमका से अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य उपकेन्द्र झिकरा का भवन हस्तगत होने के उपरान्त स्वास्थ्य सुविधाओं का संचालन कर दिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–41/2023– 806(S) स्वा, राँची, दिनांकः 03.08.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 1934 वि0स0, राँची, दिनांक–26.07.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.2023

अवर सचिव।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–41/2023– 806(S) स्वा, राँची, दिनांकः 03.08.2023

प्रतिलिपिः– सरकार के अपर सचिव, प्रशाखा–17 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

03.08.2023

अवर सचिव।

श्री राज सिन्हा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या-स0-04 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद स्थित एस0एन0एम0एम0सी0एच0 का सुपर स्पेशियिलिटी अस्पताल बन कर तैयार है, जिसमें लगभग पचास करोड़ से अधिक रूपये की लागत के उपकरण एवं मशीनें मंगवाई जा चुकी है;	शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत फेज-3 के अन्तर्गत निर्माणाधीन सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल भवन बन चुका है। अस्पताल भवन के हस्तांतरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल के सुचारू रूप से संचालन हेतु मानक के अनुरूप मशीन उपकरणों में से कुछ मशीनें प्राप्त हुयी है, तथा शेष मशीनें आना बाकी है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों, पारा मेडिकल स्टाफ, नर्स आदि की नियुक्ति नहीं की जा सकी है, जिसके कारण मशीनें खराब हो रही है और उनका वारंटी/गारंटी समाप्त हो रहा है;	राज्य सरकार द्वारा शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, धनबाद में सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल को चालू करने के लिए सतत् प्रयास किया जा रहा है। सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल के लिए शैक्षणिक संवर्ग के 94 चिकित्सकों का पद सृजित किया गया है। सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल के सुचारू रूप से संचालन हेतु सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है, आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति/पदस्थापन की कार्रवाई की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सुपर स्पेशिएलिटी विभागों में संविदा के आधार पर Walk in interview के माध्यम से प्राध्यापक एवं सह-प्राध्यापक के पद पर सेवाएँ प्राप्त करने हेतु दो बार विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। परन्तु चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। चिकित्सकों की उपलब्धता की स्थिति में सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल प्रारम्भ करने हेतु नर्स, पारामेडिकल कर्मी एवं अन्य मेडिकल स्टाफ के पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिया जा सकेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित अस्पताल के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं0 सं0-09/विधायी-06-09/2023 – 397(9) रॉंची, दिनांक- 1/8/23...

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके ज्ञापांक-1760 वि0स0, दिनांक 23.07.2023 के क्रम में (200 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.8.23

सरकार के अवर सचिव

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–07 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि यशोदा देवी पति सुधीर नायक, ग्राम–भुताही मुरगाँव अंचल–विष्णुगढ़, जिला–हजारीबाग, खाता नं0–24, प्लॉट नं0–915 रकबा– 03 तीन डिसमील मधे 2.50 (दो दशमलव पाँच) डिसमील जमीन वजरीय केवाला संख्या–2021 (HAZ/5876/BK-115683) दिनांक–31.08.2021 को क्रय की जिसका दाखिल–खारिज केस संख्या–203/R27-2022-23,दिनांक–25.11.22 को की गई है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित खाता प्लॉट में बिक्री के पश्चात् मात्र 0.50 डीसमील (शून्य दशमलव पाँच शून्य डीसमील) शेष है परन्तु अंचलाधिकारी विष्णुगढ़ द्वारा दाखिल–खारिज वाद संख्या–104/R27-2022-23 में 1.50 डी0 (एक दशमलव पाँच शून्य) डीसमील जमीन का दिनांक–27.04.2023 को स्वीकृति दी गई जिसके कारण भूमि विवाद चरम पर हो गया है किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है ;	स्वीकारात्मक। दाखिल खारिज वाद संख्या–1048/R27-2022-23 में रकवा–1.50 डिसमिल भूमि के नामान्तरण की स्वीकृति अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ द्वारा दिनांक–27.04.2023 को प्रदान की गयी है। इस भूमि के संबंध में यशोदा देवी पति सुधीर नायक के द्वारा जन शिकायत कोषांग में आवेदन दिया गया है कि रकबा–1.50 डिसमिल भूमि का दाखिल–खारिज खतियान के अनुसार अधिक हो गया है। अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ द्वारा दोनों क्रेताओं को शांति बनाये रखने हेतु निर्देशित करते हुए दाखिल–खारिज रद्द करने के निमित्त न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर हजारीबाग को पत्र भेजा गया है। इस मामले में न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर हजारीबाग में सुनवाई चल रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर दोषी अंचलाधिकारी एवं अन्य राजस्व कर्मी को दण्डित करने के विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 6/वि0स0 हजारीबाग (तारां0)–241/2023 2627/रा0, दिनांक– 03-8-2023

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1858/वि0स0, दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23

सरकार के अवर सचिव।

G:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

192

श्रीमती सुनीता चौधरी, मा0 स.वि.स. द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0 14 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती सुनीता चौधरी, मा0 स.वि.स.	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची।
1.	क्या यह बात सही है कि तालाब, पोखर, नदी, जोरहट की भूमि की प्रकृति को अपरिवर्तनीय रखना है के बावजूद रामढ़ में धंधार, पोखर, थाना चौक स्थित तालाब, कुम्हार टोली स्थित तालाब, कैथा तालाब और दुलमी प्रखण्ड स्थित ग्राम इचातु का सार्वजनिक तालाब को भूमि माफियाओं द्वारा मिट्टी भरा जा रहा है और अवैध निर्माण किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ शहरी क्षेत्र में विगत 20 वर्षों से 20 से 25 जीवित तालाबों को भूमि माफियाओं के द्वारा मिट्टी भरकर अवैध कब्जा कर क्रय–विक्रय किया गया है और भौतिक संरचना का निर्माण किया जा चुका है, जिससे रामगढ़ का भूगर्भ जल स्तर पर भी प्रभाव पड़ा है,	विगत वर्षों में इस तरह का मामला प्रकाश में नहीं आया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण हटाने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस तरह का मामला प्रकाश में आने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–07 / सैरात हजारीबाग (विधान सभा) –05 / 2023(एम) 2632 / रा., राँची, दिनांक 03-08-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं. 1966 / वि.स., दिनांक–27.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 विभागीय (मुख्य)मंत्री के प्रधान सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23

सरकार के उप सचिव।

(193)

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या –श्र0नि0–04 का उत्तर सामग्री।

1369
03/08/2023

क्र0	**प्रश्नकर्त्ता** **श्री रामचन्द्र सिंह,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि लातेहार जिलान्तर्गत मनिका विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाले प्रखण्ड यथा–लातेहार मनिका, बरवाडीह, महुआडांड़, गारू, सरयू सभी Eco Sensitive क्षेत्र अंतर्गत आते है, फलतः यहाँ के युवा रोजगार हेतु पूर्ण रूप से जंगल एवं वनस्पति आधारित संपदा पर निर्भर है,	**विभाग से संबंधित नहीं है।**
2	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों के युवाओं को जंगल एवं वनस्पति आधारित रोजगार हेतु प्रशिक्षण देने से यहाँ के युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है,	**स्वीकारात्मक।** झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के माध्यम से कौशल प्रदायी योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार के Common Cost Norms के अनुरूप NSQF (National Skill Qualification Framework) तथा SSC (Sector Skill Council) द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कोर्स के अनुसार प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है। Eco Sensitive Zone के अन्तर्गत कुछ प्रमुख प्रशिक्षण कोर्स है जिनपर कौशल प्रशिक्षण का कार्य किया जा सकता है– 1. Bamboo Grower 2. Forest Nursery Raiser 3. Lac Cultivator 4. NTFP Harvester 5. Timber Grower 6. Vriksh Surakshak 7. Sericulture 8. Barefoot Technician सम्प्रति उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स में किसी प्रशिक्षणार्थियों द्वारा रूचि नहीं दिखाये जाने के फलस्वरूप उक्त विद्याओं में झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्य संचालित नहीं किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित प्रखण्डों में युवाओं को रोजगार के मद्देनजर कौशल विकास विभाग के तहत जंगल/ वनस्पति आधारित रोजगार का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	NSQF (National Skill Qualification Framework) तथा SSC (Sector Skill Council) के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कोर्स के अनुरूप ही झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण का कार्य संचालित किया जा रहा है। चूँकि पूर्व से संबंधित प्रशिक्षण कोर्स पर कौशल प्रशिक्षण हेतु जिलों से Demand नहीं आया था, फलस्वरूप प्रशिक्षण हेतु लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। प्रशिक्षण हेतु मांग आने पर जिलों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लक्ष्य पुनर्निधारित की जायेगी तथा प्रशिक्षण सेवा प्रदात्ता की सहमति के आधार पर जंगल/वनस्पति आधारित उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स में कौशल प्रशिक्षण की शुरूआत की जा सकती है।

03/08/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–54 / 2023श्र0नि0–1369 राँची, दिनांक– 03/08/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–1973, दिनांक–27.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha 2023-24\05-54-2023 S.docx

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.08.2023 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या सं0–02 के संबंध में।

क्र0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि अड़की प्रखण्ड के अड़की में स्थित स्वास्थ्य केन्द्र बेहद जर्जर अवस्था में है, करीबन एक दशक पूर्व इसके जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हुआ था, परन्तु अधूरा रह गया;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूर्व के जीर्णोद्धार कार्य की जाँच एवं कार्यवाही के साथ पुनः अड़की स्वास्थ्य केन्द्र के जीर्णोद्धार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वर्तमान में संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अड़की का भवन जर्जर अवस्था में है, जिसे आवश्यकतानुसार लघु मरम्मति कर उपयोग किया जा रहा है। अड़की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अड़की के नये अस्पताल भवन का निर्माण कार्य योजना के कार्यकारी एजेंसी ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, खूँटी द्वारा कराया जा रहा था। निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप में सहायक अभियंता एवं तत्कालीन कनीय अभियंता पर खूँटी थाना काण्ड संख्या–114/2010 दिनांक–03.10.2010 द्वारा प्राथमिकी दर्ज है एवं माननीय निगरानी न्यायालय, राँची में वाद संख्या– Spl 61/10 लंबित है। निर्माण कार्य लम्बे समय से बंद है। विभागीय पत्रांक–749(5), दिनांक–26.07.2023 द्वारा उपायुक्त, खूँटी से योजना को Close करते हुए अंतिम मापी कर सभी अभिलेख झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है साथ ही झारखण्ड भवन निर्माण निगम, राँची से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अड़की से शेष निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु सक्षम स्तर तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन माँग की गई है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–35/2023–783(5) स्वा, राँची, दिनांकः 31.07.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 1758 वि0स0, राँची, दिनांक–23.07.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.07.2023

अवर सचिव।

ज्ञापांकः–5/पी0 वि0स0 (ता0)–35/2023–783(5) स्वा, राँची, दिनांकः 31.07.2023

प्रतिलिपिः– सरकार के अपर सचिव, प्रशाखा–17 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

31.07.23.

अवर सचिव।

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या सं० स०–14 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झारिया–सह–जोरापोखर, धनबाद से संबंध स्वास्थ्य केन्द्र APHC झरिया, भागा, HSC बस्ताकोला, UFWC झरिया, जोरापोखर, HDC धनुआडीह, होरलाडीह, शालीमार, जयरामपुर, मधुबन, नुनूकडीह, डिगवाडीह, मोहलबनी, बरारी, काण्ड्रा, भौरा तथा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्दरी से संबंध स्वास्थ्य केन्द्र UPHC राजवाड़ी डिगवाहीह एवं सिन्दरी के भवनों में मरीजों के लिए मूलभूत सुविधाओं (यथा दवा, पेयजल सुविधा, शौचालय, विद्युतीकरण) का घोर अभाव है;	1. सभी प्रसंगाधीन स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक दवाई उपलब्ध है। 2. प्रसंगाधीन स्वास्थ्य केन्द्रों में से कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों में मुलभूत सुविधाऐं यथा–पेयजल, शौचालय एवं विद्युतिकरण में थोडा सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में विभाग अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों/कार्यालयों आदि में विभिन्न छोटे–मोटे जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु कुल 10.00 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसपर सिविल सर्जन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाने के उद्देश्य से जीवन रक्षक दवोओं की आपूर्ति, स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार शौचालय निर्माण, पेयजल सुविधा, विद्युतीकरण कार्य अत्यंत आवश्यक है;	आंशिक स्वीकरात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों का नवनिर्माण सहित मरीजों को मूलभूत सुविधाओं के साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	1. प्रसंगाधीन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक जीवन रक्षक दवाऐं उपलब्ध है। 2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भागा, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, शालीमार, जयरामपुर, मधुबन, नुनुकडीह, डिगावडीह, भौरा, UFWC झरिया, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजबाडी, डिगवाडीह में नये भवन निर्माण एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र मोहलबनी एवं झरिया में मरम्मति हेतु सिविल सर्जन, धनबाद के पत्रांक–1734, दिनांक–28.07.2023 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, धनबाद से प्राक्कलन की माँग की गई है। प्राक्कलन प्राप्त होते ही योजना की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। 3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झरिया एवं भागा, UFWC झरिया, जोरापोखर, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बस्ताकोला, धनुआडीह, शालीमार, मोहलबानी,

	बरारी, काण्ड्रा, होरलाडीह, मधुबन, नुनुकडीह, डिगवाडीह, मोहलबनी, भौरा में पेयजल की व्यवस्था हेतु सिविल सर्जन, धनबाद के पत्रांक–1735, दिनांक–28.07.2023 द्वारा प्रबंध निदेशक, झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद से अनुरोध किया गया है। 4. स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बस्ताकोला, धनुआडीह, नुनुकडीह, UPHC, सिन्दरी, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, होरलाडीह, मोहलबनी, काण्ड्रा में विद्युत संयोजन हेतु सिविल सर्जन, धनबाद के पत्रांक–1733, दिनांक–28.07,2023 द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल धनबाद से अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:–5/पी० वि० स० (ता०)–38/2023– 805(S)   स्वा०, राँची, दिनांक: 03.08.2023

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप० सं० प्र०–1869 वि० स०, राँची, दिनांक–25.07.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.2023
अवर सचिव

ज्ञापांक:–5/पी० वि० स० (ता०)–38/2023– 805(S)   स्वा०, राँची, दिनांक: 03.08.2023

प्रतिलिपि: अपर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, (प्रशाखा–17) राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

03.08.2023
अवर सचिव

(198)

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा० स.वि.स. द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा० 11 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्न	उत्तर
	सुश्री अम्बा प्रसाद, मा० स.वि.स.	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागांव प्रखण्ड क्षेत्र के ग्राम पंचायत–गोन्दलपुरा समेत आस–पास का क्षेत्र बहुफसलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहाँ वर्ष भर उन्नत फसलें उगाई जाती है;	अस्वीकारात्मक। उपायुक्त, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार गोन्दलपुरा कोयला खान क्षेत्र हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए खाद्य सुरक्षा से संबंधित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार बहुफसलीय खेती नहीं हो पाती है (छायाप्रति संलग्न)।
2.	क्या यह बात सही है कि कंडिका–1 में वर्णित स्थल की कृषि योग्य गैरमजरूआ भूमि को बगैर ग्रामीणों की सूचना व सहमति के अडानी पावर लि० को हस्तांतरित कर दी गई है जिसका उक्त क्षेत्र के ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं एवं विगत दिनों ग्रामीणों द्वारा 25 कि०मी० की पदयात्रा कर परियोजना का विरोध किया गया था;	अस्वीकारात्मक। भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई वर्त्तमान में प्रक्रियाधीन है। ज्ञातव्य हो कि तत्कालीन विभागीय सचिव के पत्रांक–2791/रा0, दिनांक–27.09.2010 के अनुसार गैरमजरूआ आम भूमि के हस्तांतरण के पूर्व ग्राम सभा की सहमति आवश्यक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बगैर ग्रामीणो की सूचना व सहमति के गैरमजरूआ भूमि अडानी पावर लि० को हस्तांतरित को हस्तांतरित करने के निर्णय को निरस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–05/स0भू0 हजारीबाग वि0स0 (तारां)–127/2023 2624/रा., राँची, दिनांक–03-08-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं. 1930/वि.स., दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)मंत्री के प्रधान सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.2023

सरकार के अवर सचिव।

(197)

श्रीमती सुनिता चौधरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–04 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्रीमती सुनिता चौधरी, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिला अन्तर्गत दुलमी प्रखण्ड के ग्राम–उरबा का रजिस्टर–II गायब है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मौजा–कुल्ही का रजिस्टर–II के भोल्यूम नं0–04 में पृ0सं0–130 से 177 तक मौजा–उरबा का जमाबंदी कायम है। मौजा–उरबा का भोल्यूम नं0–01 दुलमी अंचल के स्थापित होने के समय से ही कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जिसके निमित अंचल कार्यालय का पत्रांक–448, दिनांक –19.09.2020 से रजरप्पा थाना में पत्राचार कर सन्हा दर्ज कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि ग्राम–उरबा के रजिस्टर–II गायब होने के कारण ग्राम–उरबा के जमीन का खरीद–बिक्री, दाखिल–खारिज, राजस्व संग्रहण पूर्णतः बन्द है। जिससे ग्राम–उरबा के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। मौजा–कुल्ही का रजिस्टर–II के भोल्यूम नं0–04 में पृ0सं0–130 से 177 तक मौजा–उरबा का ऑनलाईन जमाबंदी कायम है, जिसका खरीद–बिक्री, दाखिल–खारिज एवं राजस्व संग्रहण हो रहा है। मौजा–उरबा का भोल्यूम नं0–01 दुलमी अंचल के स्थापित होने के पूर्व से ही कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम–उरबा के जमीन का रजिस्टर–II बनाने और रजिस्टर–II गायब करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अंचल अधिकारी दुलमी के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–448, दिनांक–19.09.2020 के द्वारा रजरप्पा थाना में सनहा दर्ज किया जा चुका है। दोषी कर्मी को चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक को स्पष्टीकरण किया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः– 6/वि0स0 रामगढ़ (तारां0)–231/2023 2655/रा0, दिनांक– 03-08-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1766/वि0स0, दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23

सरकार के अवर सचिव।

G:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

(198)

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक—04.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या—रा0—13 का प्रश्नोत्तर :—

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स०	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि SAR Case No.-714/2014-15 में न्यायालय, विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा नामकोम अंचलाधीन ग्राम—आरा, थाना नं0—178, खाता नं0—29, प्लॉट नं0—1509, रकबा—2.82 एकड़ भूमिपर प्रथम पक्ष शनिचरवा भुटकुंवर, पिता—स्व0 मथुरा मुण्डा निवासी, ग्राम—आरा गेट, कठर कोचा के पक्ष में मालिकाना हक देते हुए दिनांक— 28.11.2022 को आदेश पारित किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड—01 में वर्णित आदेश का अनुपालन हेतु CO, Namkom को दिनांक—13.12.2022 को आदेश देने के बावजूद आदिवासी भू—मालिक शनिचरवा भुटकुंवर को दखल दिहानी नहीं दिलाई गई है ;	राँची समाहरणालय, राँची का पत्रांक— 365 (1)/रा0, दिनांक—28.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अंचल अधिकारी, नामकुम द्वारा विपक्षीगण को दिनांक—08.08.2023 तक भूमि पर दखल हटाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। निर्धारित तिथि के पश्चात् दखल—दिलाने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित विषय की गंभीरत को देखते हुए वास्तविक जमीन मालिक को दखल दिहानी दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका—02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः— 6/वि0स0 राँची (तारां0)—243/2023.2579/रा0, दिनांक— 01-08-2023

प्रतिलिपिः— अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक—1932/वि0स0, दिनांक—26.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा—12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/23

सरकार के अवर सचिव।

G:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

199

डॉ0 लम्बोदर महतो, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या – श्र0नि0–01 का उत्तर सामग्री।

1372
03/08/2023

क्र0	**प्रश्नकर्त्ता** **डॉ0 लम्बोदर महतो,** माननीय सदस्य, विधान सभा।	**उत्तरदाता** **श्री सत्यानन्द भोक्ता** माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है, कि बोकारो जिला के गोमिया विधान सभा अन्तर्गत तेनुघाट और कसमार में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) कसमार एवं तेनुघाट का उद्घाटन अभी तक नहीं होने से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ नहीं हो पा रहा है जिसके कारण शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा उग्रवाद प्रभावित इलाका के हजारों छात्र एवं छात्राओं को तकनीकी शिक्षा से वंचित होना पड रहा है;	**अस्वीकारात्मक।** वस्तुस्थिति यह है कि कसमार के इर्द–गिर्द यथा ज्ञानशिला प्रा0 आई0टी0आई0, बहादुरपुर नियर कसमार, उत्कर्ष प्रा0 आई0टी0आई0, सिंहपुर, कसमार में संचालित है जिसमें शैक्षणिक सत्र 2021 एवं 2022 में क्रमशः 207 एवं 99 प्रशिक्षणार्थी का नामांकन हुआ। तेनुघाट में सम्प्रति कोई आई0टी0आई0 संचालित नहीं है लेकिन इसके इर्द–गिर्द यथा–ज्ञानशीला प्रा० आई0टी0आई0, बहादुरपुर नियर जैनामोड़, श्रम शक्ति प्रा० आई0टी0आई0, चन्दवाडिह, दुग्दा में संचालित है जिसमें शैक्षणिक सत्र 2021 एवं 2022 में क्रमशः 261 एवं 85 प्रशिक्षणार्थी का नामांकन हुआ।
2	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र ही राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) तेनुघाट एवं कसमार का उद्घाटन करते हुए शीघ्र शैक्षणिक सत्र चालू कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	ITI कसमार को PPP के अंतर्गत आवंटन किए जाने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त होते ही नए RFQ (Request for Qualification) के तहत PPP के अंतर्गत आवंटित कर दी जाएगी। तत्पश्चात् प्रशिक्षण हेतु नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। ITI तेनुघाट (बेरमो), बोकारो को TSP (Training Service Provider) द्वारा चलाने हेतु विभाग द्वारा आवंटित कर दी गई है। भारत सरकार की स्थायी समिति द्वारा NCVT से संबंधन हेतु दिनांक–12.07.2023 को जॉच कर ली गई है एवं संबंधन प्रक्रियाधीन है, तदोपरान्त प्रशिक्षण हेतु नामांकन की प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ की जाएगी।

03/08/2023

(गणेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव,
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल
विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक–02 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–05–48 / 2023श्र0नि0– 1372 राँची, दिनांक– 03/08/2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा का ज्ञाप सं०–1767, दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

03/08/2023

सरकार के अवर सचिव।

(200)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सख्या– स–07 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के गरीबों को अस्पतालों में खून की उपलब्धता में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खून के अभाव में किसी मरीज की जान ना जाए इसके लिए राज्य के सभी सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेशन की सुविधा व प्रखंडों में खून की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ब्लड बैंक / ब्लड कंपोनेंट की सुविधा उपलब्ध कराना अति आवश्यक है;	स्वीकारात्मक। सभी जिले के सदर अस्पताल में ब्लड सेपरेशन की सुविधा एवं प्रखंड स्तर पर ब्लड स्टोरेज यूनिट का अधिष्ठापन प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग, रामगढ़ एवं चतरा जिले के सदर अस्तपाल में ब्लड सेपरेशन नहीं बना है तथा बड़कागांव विधान सभा क्षेत्र के केरेडारी, कड़कागांव व पतरातू प्रखण्ड में भी ब्लड बैंक की स्थापना नहीं हुई है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हजारीबाग, रामगढ़ व चतरा जिले के सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट व केरेडारी, बड़कागांव, पतरातू तथा टंडवा में ब्लड बैंक की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	हजारीबाग, रामगढ़ एवं चतरा जिले के सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेंशन यूनिट की स्थापना प्रक्रियाधीन है। रॉंची एवं धनबाद में ब्लड कंपोनेंट सेपरेंशन यूनिट स्थापित है शेष 22 जिले के सदर अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट एवं केरेडारी, बड़कागॉव, पतरातु, तथा टंडवा में ब्लड स्टोरेज यूनिट स्थापित किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21 / वि0स0–06–23 / 2023 178 (21) स्वा0 रॉंची, दिनांक– 03/08/23

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रॉंची को उनके 1862 / वि0स0 रॉंची, दिनांक 25.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.23

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं0 : 21 / वि0स0–06–23 / 2023 178 (21) स्वा0 रॉंची, दिनांक– 03/08/23

प्रतिलिपिः–उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रभारी प्रशाखा–17 को सूचनार्थ प्रेषित।

03.08.23

सरकार के उप सचिव।

201

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–09 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स.वि.स.		माननीया प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत अंचल कांके, मौजा–चन्दवे, थाना सं0–190, खाता सं0–52, प्लॉट सं0–297, रकबा–0.08 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैरमजरूआ दर्ज है;		स्वीकारात्मक। प्रश्नगत भूमि खतियान में गैरमजरूआ मालिक दर्ज है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य किया गया है;		अतिक्रमण वाद के स्थान पर संदिग्ध जमाबंदी मानते हुए अवैध जमाबंदी निरस्तीकरण वाद सं0–35/2021–22 का अभिलेख अंचल अधिकारी, कांके के पत्रांक–1079 दिनांक–01.10.2021 द्वारा मूल अभिलेख उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर, राँची को भेजा गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		अभिलेख निष्पादन के उपरांत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/वि.स.–राँची(तारां.)–64/2023......2577.....(4)/रा., राँची, दिनांक–01-08-2023

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–1860/वि.स., दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)/प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/8/23
सरकार के अवर सचिव।

202

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– 05 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिहरगंज में Physician और paediatrician के एक–एक पद तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौकड़ी, पिपरा एवं हैदरनगर में चिकित्सा पदाधिकारी के दो–दो पद स्वीकृत है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिहरगंज में स्वीकृत विशेषज्ञ के पद के विरूद्ध एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थापित नही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिहरगंज में वर्तमान में कोई विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत पद के विरूद्ध विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिहरगंज में निम्न चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं– 1. डॉ0 राजेश कुमार कुशवाहा, MBBS (MS) 2. डॉ0 अरूण कुमार सिंह, MBBS (D.Ortho) 3. डॉ0 आसिफ रजा, दन्त चिकित्सक 4. डॉ0 विमलेश कुमार सिंह, दन्त चिकित्सक (प्रतिनियुक्त) 5. डॉ0 देवेन्द्र कुमार, चिकित्सक (RBSK) 6. डॉ0 दानिश अख्तर, चिकित्सक (RBSK) 7. डॉ0 तौहिद अहमद, चिकित्सक (RBSK) 8. डॉ0 साजिद अहमद, चिकित्सक (RBSK) 9. डॉ0 असदुल्ला फैज, चिकित्सक (RBSK) इनमें डॉ0 राजेश कुमार कुशवाहा, MBBS (MS) एवं डॉ0 अरूण कुमार सिंह, MBBS (D.Ortho) से विशेषज्ञ चिकित्सा की सुविधा ली जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौकड़ी, पिपरा एवं हैदरनगर में चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत पद के विरूद्ध एक भी चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैदरनगर में पदस्थापित एक मात्र चिकित्सक को जब से पलामू जिला का सिविल सर्जन बनाया गया है, तब से हैदरनगर में एक भी चिकित्सक नही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौकड़ी एवं पिपरा में चिकित्सक पदस्थापित नहीं है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरा में डॉ0 विमलेश कुमार सिंह, दन्त चिकित्सक एवं डॉ0 देवेन्द्र कुमार (RBSK), डॉ0 अनिश अख्तर, चिकित्सक (RBSK) के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बुलंद बिगहा से डॉ0 राज कुमार गुप्ता, के द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौकड़ी में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, हैदरनगर में दो चिकित्सक पदस्थापित हैं। जिसमें से एक चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन, पलामू के प्रभार में है तथा दूसरे चिकित्सक डॉ0 साहिल नयन रजनीश उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् दिनांक 27.07.2023 के पूर्वाहन में योगदान दिये हैं। पूर्व से अनुमण्डलीय अस्पताल, हुसैनाबाद से दो चिकित्सक डॉ0 राजेश रंजन एवं डॉ0 मंसूर आलम, RBSK के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रहीं है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत पदों के विरूद्ध यथाशीघ्र पदस्थापन करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं चिकित्सा पदाधिकारी के नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत चिकित्सा पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–32/2023 857(3) राँची, दिनांकः 31.07.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1761/वि0स0 दिनांक 23.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.07.2023

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–32/2023 857(3) राँची, दिनांकः 31.07.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31.07.2023

सरकार के अपर सचिव

207

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– 06 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुण्डी प्रखण्ड के मुख्यालय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कर्मचारी तथा चिकित्सकों के अभाव में बंद एवं जर्जर स्थिति में है;	अस्वीकारात्मक। प्रखण्ड मुख्यालय में अवस्थित भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टुण्डी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टुण्डी एक ही भवन में संचालित था, जो वर्तमान में जर्जर स्थिति में है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टुण्डी का दुबराजपुर, टुण्डी में तैयार नये भवन वर्ष, 2021 में हस्तान्तरण होने के पश्चात् उक्त भवन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टुण्डी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टुण्डी संयुक्त रूप से संचालित है, जो प्रखण्ड मुख्यालय से 01 कि0मी0 दूरी पर है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टुण्डी में चिकित्सक, चिकित्सा कर्मी एवं दवा, उपकरण आदि उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टुण्डी में कार्यरत चिकित्सकों/पारा चिकित्सा कर्मियों की सूची निम्नवत् है :– 1. डॉ0 श्रवण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (नियमित) 2. डॉ0 जीतेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी (नियमित) 3. डॉ0 अभिषेक मुखर्जी, चिकित्सक (अनुबंध) 4. डॉ0 विजय कुमार वर्मा, चिकित्सक (अनुबंध) 5. डॉ0 शिवाजी कुमार यादव, चिकित्सक (अनुबंध) 6. डॉ0 नितेश कुमार पाण्डे, चिकित्सक (डी0एम0एफ0टी0) 7. श्री मिलन लाल, प्र0प्र0प्र0 (नियमित) 8. श्रीमती मिनू कोटाल, ए0एन0एम0 (नियमित) 9. श्रीमती ब्रजशीला कुमारी, ए0एन0एम0 (नियमित) 10. श्रीमती सिन्टू कुमारी, ए0एन0एम0 (अनुबंध) 11. श्रीमती पुष्पलता कुमारी, ए0एन0एम0 (अनुबंध) 12. कुमारी स्नेहलता, ए0एन0एम0 (अनुबंध) 13. श्रीमती शान्ति मारगेट हारूण, ए0एन0एम0 (अनुबंध) 14. श्रीमती सुमा हेम्ब्रम, ए0एन0एम0 (डी0एम0एफ0टी0) 15. श्रीमती किशोरी किस्कू, ए0एन0एम0 (डी0एम0एफ0टी0) 16. श्रीमती सबाला मराण्डी, ए0एन0एम0 (डी0एम0एफ0टी0) 17. श्री मिथुन कुमार दुबे, अस्पताल प्रबंधक (अनुबंध) 18. मो0 रियाज, फार्मासिस्ट (अनुबंध) 19. श्री विजय कुमार पाण्डे, फार्मासिस्ट (अनुबंध) 20. श्री नरेश कुमार राय, प्र0प्रा0 (अनुबंध) 21. श्री आदित्य कुमार रविदास, प्र0प्रा0 (अनुबंध)
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्र बंद रहने से ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टुण्डी एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टुण्डी जो संयुक्त रूप में दुबराजपुर नवनिर्मित भवन में संचालित है, में कार्यरत चिकित्सक एवं पारा चिकित्सा कर्मियों द्वारा आम नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। – वित्तीय वर्ष 2022–2023 एवं 2023–2024 में बाह्य विभाग (OPD) में देखे गये मरीजों की संख्या–18,854 – वित्तीय वर्ष 2022–2023 एवं 2023–2024 में अन्तःवासी (IPD) विभाग में भर्ती मरीजों की संख्या–1,641 – वित्तीय वर्ष 2022–2023 एवं 2023–2024 में बंध्यकरण ऑपरेशन की कुल संख्या 362 – वित्तीय वर्ष 2022–2023 एवं 2023–2024 में MTC में भर्ती कुपोषित बच्चों की कुल संख्या–101

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत पदों के विरूद्ध यथाशीघ्र पदस्थापन करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–33/2023 855(3) राँची, दिनांकः 28.07.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1762/वि0स0 दिनांक 23.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.07.2023

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–33/2023 855(3) राँची, दिनांकः 28.07.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.07.2023

सरकार के अपर सचिव

204

श्री उमाशंकर अकेला, मा0 स.वि.स. द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0 10 का उत्तर प्रतिवेदनः–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री उमाशंकर अकेला, मा0 स.वि.स.	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची।
1.	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला के चन्दवारा प्रखण्ड के चन्दवारा पंचायत के ग्राम चन्दवारा में खाता सं0–175, प्लॉट सं0–6969, थाना नं0–276 (लगभग 5 एकड़) जमीन का प्रकार गैरमजरूआ है इस गैरमजरूआ जमीन को चन्दवारा निवासी (1) महानन्द मोदी (2) किशुन मोदी (3) राम सहाय मोदी (4) वासुदेव मोदी (5) रघु मोदी को बाबू बिरेन्द्र नारायण घोष के द्वारा बिल्डिंग लीज दिया गया है;	उपायुक्त, कोडरमा के प्रतिवेदन के अनुसार प्रसंगाधीन भूमि को निबंधित दस्तावेज संख्या–4375, दिनांक–06.11.1942 के द्वारा तत्कालीन भूतपूर्व जमीन्दार बिरेन्द्र नाथ घोष द्वारा वर्त्तमान जमाबन्दी धारक के पूर्वज भागवत मोदी के नाम से हस्तांतरित किया गया था।
2.	क्या यह बात सही है कि इन लोगों के द्वारा रैयती मान्यता हेतु अंचलाधिकारी चन्दवारा से मांग किया गया था;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, कोडरमा के द्वारा 25.09.2022 को जमाबंदी अस्वीकार करते हुए पुनः अंचलाधिकारी को पुनः जमाबंदी रद्द अथवा नियमित करने के संदर्भ में अंचलाधिकारी को अभिलेख खोलकर पुनः समीक्षा करने का आदेश दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा पत्रांक सं0–29/2 दिनांक–19.10.2020 का आदेश पारित किया गया कि लीज बन्दोबस्त की गई जमीन को खासमहाल सरकारी भूमि, वन भूमि के रूप में NGDRS वेबसाईट अन्तर्गत अपलोड किया जाय तथा यह ध्यान रखा जाय कि इस तरह की भूमि अनाधिकृत निबंधन के साथ–साथ अनाधिकृत हस्तांतरण नहीं हो सके तथा लगान रसीद होना बन्द किया जा सके, इसके बावजूद भी इस आदेश को दरकिनार करते हुए उपायुक्त के द्वारा उल्लेखित खण्ड–3 में जो आदेश दिया गया है वह गलत है;	अस्वीकारात्मक। Bihar Land Reforms Act, 1950 की धारा 4h "The Collector shall have power to make inquiries in respect of any transfer including the settlement or lease of any land comprised in such estate or tenure or the transfer of any kind of interest in any building used primarily as office or cutchery for the collection of rent of such estate or tenure or part thereof, [* * *] and if he is satisfied that such transfer was made [at any time after the first day of January, 1946, with the object of defeating any provisions of this Act or causing loss to the State or obtaining higher compensation thereunder the Collector may, after giving reasonable notice to the parties concerned to appear and be heard [* * *] annul such transfer, dispossess the person claiming under it and take possession of such property on such terms as may appear to the Collector to be fair and equitable:]" के आलोक में उपायुक्त, कोडरमा द्वारा विभागीय पत्रांक–2912, दिनांक–19.10.2020 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है ।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका–1, 2, 3 एवं 4 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

कृ0पृ0उ0

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–05/स0भू0 कोडरमा वि0स0 (तारां0)–124/2023 2651/ /रा., राँची, दिनांक–03-8-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं. 1861/वि.स., दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 विभागीय (मुख्य)मंत्री के प्रधान सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 3.8.2023

सरकार के अवर सचिव।

(205)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–08 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स०	**माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग ज़िलान्तर्गत विष्णुगढ़ अंचल में राम बालक कुमार अंचलाधिकारी के पद पर वर्ष 2021 से पदस्थापित है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार यह निदेश दी गई है कि लगभग 20–25 वर्षो से जिन किसानों का गैरमजरूवा खाश खाते की जमीन पर दखल–कब्जा कायम है तथा जिनका सरकारी रसीद पूर्व से निर्गत होते आ रहा है उनके नाम रसीद निर्गत की जाय परन्तु अंचलाधिकारी विष्णुगढ़ द्वारा मोटी रकम प्राप्त कर अवैध तरीके से गैरमजरूवा खास खाते की भूमि में पूर्व से दखल–कब्जाधारियों को तंग तबाह एवं अन्य दलालों, भू–माफियाओं के नाम बंदोबस्ती तथा दखल–कब्जा कराया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। श्री राम बालक कुमार, अंचल अधिकारी, विष्णुगढ़ के पदस्थापन अवधि में दो भूमिहीन व्यक्तियों के नाम क्रमशः 0.02 एकड़ एवं 0.03 एकड़ भूमि का बन्दोबस्ती प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर हजारीबाग को भेजा गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
3	क्या यह बात सही है कि दाखिल–खारिज एवं ऑन–लाईन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है जिससे अंचल में निवास कर रहे किसानों को घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। श्री राम बालक कुमार, अंच अधिकारी, विष्णुगढ़ के पदस्थापन तिथि से अबतक दाखिल–खारिज की विवरणी :– (नीचे तालिका देखें) ऑनलाईन आवेदन के निष्पादन की विवरणी :– (नीचे तालिका देखें)
4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अंचलाधिकारी विष्णुगढ़ राम बालक कुमार के पदस्थापनकाल से लेकर आज तक की गई भूमि बंदोबस्ती, दाखिल–खारिज एवं लम्बित ऑन–लाईन आवेदनों को उपलब्ध कराकर दोषी अंचल अधिकारी के विरूद्ध दण्डनात्मक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–02 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

दाखिल–खारिज की विवरणी :–

वर्ष	दाखिल खारिज वादों की संख्या	स्वीकृत	अस्वीकृत
2021–22	1009	511	498
2022–23	1051	436	615
2023–24	331	90	72

ऑनलाईन आवेदन के निष्पादन की विवरणी :–

कुल आवेदनों की संख्या	निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
53	47	06

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक:– 9/वि0स0 (तारां)–123/2023-2630/रा0, दिनांक–03-8-2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1859/वि0स0, दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23

सरकार के अवर सचिव।

G:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

206

डॉ० इरफान अंसारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र०नि०-03 के उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत जामताड़ा में महिला ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान का भवन लगभग-4-5 वर्षो पूर्व बनकर तैयार हैं ;	स्वीकारात्मक। जामताड़ा जिला अंतर्गत जामताड़ा में महिला ए०एन०एम० प्रशिक्षण संस्थान भवन दिनांक-17.05.2011 को हस्तानान्तरित किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि प्रशिक्षण संस्थान के भौतिक रूप से पूर्ण होने के उपरांत भी उस संस्थान में प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण प्रशिक्षण हेतु यहाँ के महिलाओं/बालिकाओं को अन्यत्र जाना पड़ता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। जामताड़ा में अन्य भवन में प्रेजा फाउण्डेशन को 120 सीटो के लिए ए०एन०एम० नर्सिंग प्राठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक-56(10) दिनांक-25.02.2022 द्वारा अनापत्ति प्रदान किया गया है एवं ए०एन०एम० प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त संस्थान को अविलंब प्रारम्भ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अन्य निर्मित भवन के संबंध में निरीक्षण के उपरांत उक्त भवन में ए०एन०एम० प्रशिक्षण संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक- 10/क्यु0-01-04/2023स्वा0/205(10)/ दिनांक-03/08/2023

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0-प्र0 1972/वि0स0 दिनांक 27.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/08/23

सरकार के अवर सचिव

श्री निरल पुरती, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री निरल पुरती, मा0स0वि0स0	**माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।**
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत तांतनगर–मंझगाँव पथ के पुण्डी–गुट्टू ग्राम से उड़ीसा सीमा तक एवं कुदाहातु चौक से उसमबीर उड़ीसा सीमा तक पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु रैयतों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रश्नाधीन परियोजनान्तर्गत अर्जनाधीन ग्रामों का अधिसूचना क्रमशः दिनांक–22.12.2018 एवं दिनांक–07.09.2019 को निर्गत किया गया जिसे दिनांक–22.12.2020 एवं दिनांक–07.09.2021 तक विस्तारित किया गया परन्तु अधियाची निकाय (पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, चाईबासा) से आवंटन अप्राप्त होने के कारण उक्त अधिसूचना व्ययगत (कालबाधित) हो गयी। विदित हो कि झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के अनुसार प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से 12 महीनों के भीतर अधिघोषणा निर्गत नहीं किये जाने की स्थिति में अधिसूचना कालबाधित/व्ययगत हो जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ में रैयतों के मुआवजा का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक। संबंधित परियोजनाओं के भू–अर्जन की सम्पूर्ण प्रक्रिया व्ययगत होने के पश्चात कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक–391(अनु0), दिनांक–30.03.2022 द्वारा राशि उपलब्ध करायी गयी। जिसके पश्चात् जिला भू–अर्जन कार्यालय, प0 सिंहभूम, चाईबासा द्वारा कालबाधित परियोजनाओं का अधियाचना पुनः समर्पित करने हेतु अधियाची निकाय से अनेक बार पत्राचार किया गया परन्तु अधियाचना अप्राप्त होने के कारण भू–अर्जन की प्रक्रिया/रैयतों का भुगतान लंबित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तांतनगर– मंझगाँव पथ एवं कुदाहातु चौक से उसमबीर उड़ीसा सीमा तक पथ में प्रभावित रैयतो के मुआवजा का भुगतान करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	अधियाची निकाय (पथ निर्माण विभाग) से पुनः अधियाचना प्राप्त होने पर भू–अर्जन की चरणबद्ध प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हितबद्ध/प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

D/Sec1/Naina Mam/VQ(Asif)

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–02बी0 / भू0अ0नि0(वि0स0) तारा–65 / 2023 616/अ.स. राँची, दिनांक–03-08-2023

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–1856, दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दौ सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड राँची / विभागीय (मुख्य) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12(समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/8/23

सरकार के अवर सचिव

D/Sec1/Naina Mam/VQ(Asif)

208

श्री दशरथ गागराई, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.08..2023 को सदन से पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–10 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1.क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के आमदा मौजा में 500 बेड वाले अस्पताल भवन का निर्माण कार्य 2012 में प्रारंभ हुआ था, परन्तु अबतक पूर्ण नहीं हुआ है ;	स्वीकारात्मक।
2.क्या यह बात सही है कि अस्पताल निर्माण की प्राक्कलित राशि 152 करोड़ थी, जिसमें 102 करोड़ का भुगतान भी संबंधित संवेदक को कर दिया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना को समय पर पूर्ण नहीं होने से ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	योजना के शेष बचे कार्यों को पूर्ण करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–09/विधायी/06–10/2023–401(9)............................स्वा0, राँची, दिनांक:– 3/8/23

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1865 वि0स0, दिनांक–25.07.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.23
अवर सचिव।

209

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक-04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-स-09 के उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि सरकार झारखण्ड फिजियोथेरेपी काउन्सिल में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट से सफल प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन को हरियाणा एवं ओडिसा फिजियोथेरेपिस्ट परिषद् के तर्ज पर मान्यता नहीं दिया गया है;	1. इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टिट्यूट द्वारा फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत किया जा रहा था, जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वाद W.P(C) 2403/2004 में दिनांक-22.04.2010 को फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम में दूरस्थ शिक्षा को बंद/निरस्त करने का आदेश दिया। 2. UGC के पत्रांक संख्या- F.N.6-1 (6)/2006 (CPP-1) दिनांक-17 मई 2010 को सारे विश्वविद्यालय के निबंधक को फिज़ियोथेरेपी में दूरस्थ शिक्षा को Ban करने का आदेश इसलिए दिया कि Professional Course के लिए Practical Training की सख्त आवश्यकता होती है। 3. अतः दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम नहीं चलाये जा सकते है। 4. UGC एवं Delhi High Court के उपर्युक्त निर्णय के आधार पर The Delhi Council for Physiotherapy and Occupational Therapy Delhi, Maharastra State Council for Occupational and Physiotherapy, Mumbai Gujrat State Council for Physiotherapy, Ahmedabad ने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली वाले किसी भी अभ्यर्थी का निबंधन परिषद् ने नहीं किया है। 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर W.P(C) 1510/2018 में पारित न्यायादेश माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर याचिका सं० W.P(C) 2403/2004 में पारित न्यायादेश, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), नई दिल्ली के पत्र दिनांक-14.05.2010 एवं दिनांक-01.02.2011, (UGC) द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत तकनीकी शिक्षा को Ban करने संबंधी मार्गदर्शिका (Guidelines), The Delhi Council for Physiotherapy and Occupational Therapy Delhi के पत्र DCPTOT/JSCP/01-06/2023/104, Date: 05/06/2023, Maharastra State Occupational Therapy & Physiotherapy Council,

	Mumbai के पत्र OTPT/Council/939/2023, Date: 18-05-2023 एवं The Gujrat State Council for Physiotherapy, Ahmedabad के पत्र GSCPT/385/2023, Date: 27-07-2023 (छायाप्रति संलग्न) के आधार पर झारखण्ड राज्य भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) परिषद् के शासी परिषद् द्वारा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत प्रशिक्षित फिजोयोथेरेपिस्टों का निबंधन नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है।
2. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर वर्णित उक्त राज्यों के तर्ज पर इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीच्यूट से सफल अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन को झारखण्ड फिजियोथेरपिस्ट काउंसिल में मान्यता देना चाहती है, यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक- 10/क्यु0-01-03/2023स्वा0/ 201 (10) /

दिनांक- 01/08/2023

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0- प्र0 1864/वि0स0 दिनांक 25.07.2023 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

01/08/2023

सरकार के अवर सचिव

Gujarat State Council for Physiotherapy
Gujarat State

ગુજરાત સ્ટેટ કાઉન્સીલ ફોર ફીઝીયોથેરાપી - ગુજરાત રાજય

Ground Floor, Old Nursing College Building, Nr. Cancer Hospital, Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad-380016.

ગ્રાઉન્ડ ફલોર, જૂની નર્સીંગ કોલેજ બિલ્ડીંગ, કેન્સર હોસ્પિટલ પાસે, સીવીલ હોસ્પિટલ કેમ્પસ, અસારવા, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૧૬.

(60)

Ref No: GSCPT/385/2023 Date: 27/07/2023

To,

Registrar,
The Jharkhand State Council for Physiotherapy,
Jharkhand

Subject: To provide information regarding council registration for the candidates, having degree in DISTANCE MODE.

Reference: Your letter No.44 dated: 27/07/2023

Sir/Madam,

With reference to the above mentioned subject & reference, Gujarat State Council for Physiotherapy (GSCPT) provides registration as per Section 33 of the GSCPT Act 2011.

Section 33. (1) Every person possessing the qualification as a Physiotherapist mentioned in the **Schedule**, shall subject to the provisions contained in this Act and on payment of such fees as may be prescribed in this behalf, be entitled to have his name entered in the register, as the case may be, subject to such conditions as the council may prescribe.

This Schedule includes only Bachelor of Physiotherapy degree having regular Mode only. (Copy of Schedule attached.)So, GSCPT gives registration to candidates who attended regular full time Bachelor of Physiotherapy course. GSCPT does not give registration for BPT (Distance Mode) candidates.

Please take a note of it.

Prakruti

Registrar I/C
Gujarat State Council for Physiotherapy,
Gujarat State.

Gujarat State Council For Physiotherapy Ahmedabad

श्री दुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–01 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री दुलू महतो, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में लाखों परिवार विस्थापन का दंश झेल रहे हैं जिनकी जमीन विभिन्न खदानों के लिए अधिग्रहित की गई है परन्तु आज तक इन्होने तो मुआवजा और न ही पुनर्वास की कोई ठोस कारवाई की गई है ;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग के गठन की माँग काफी पुरानी है और इस आयोग के गठन नहीं होने से झारखण्ड वासियों को अपने अधिग्रहित किये गये भूमि के बदले वर्षो से न्याय नहीं मिल पा रहा है;	**पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन स्कीमों या योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन या मोनीटर करने हेतु RFCTLARR Act, 2013 में किये गये प्रावधानों के आलोक में विभिन्न स्तरों पर अनुश्रवण एवं पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है।** विभागीय अधिसूचना संख्या–40 / नि.रा., दिनांक–13.02.2015 द्वारा सभी जिले के अपर समाहर्त्ता को संबंधित जिले का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या–39 / नि.रा., दिनांक–13.02.2015 द्वारा RFCTLARR Act, 2013 के अधीन भू–अर्जन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु सभी प्रमण्डल के प्रमण्डलीय आयुक्त को संबंधित प्रमण्डल का पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त नियुक्त किया गया है। विभागीय परिपत्र संख्या–374 / नि.रा., दिनांक–10.04.2015 द्वारा परियोजना स्तर पर संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन समिति का गठन किया गया है। विभागीय अधिसूचना संख्या–48 / नि.रा., दिनांक–24.02.2015 द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीमों के कार्यान्वय की समीक्षा एवं अनुश्रवण करने के लिए विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। विभागीय परिपत्र संख्या–828, दिनांक–24.11.2016 द्वारा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विवादों का शीघ्र निपटारा करने के लिए जिला न्यायाधीशों के न्यायालयों को भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के रूप में कार्य करने हेतु घोषित किया गया है।

कृ०पृ०उ०

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के पीड़ित शोषित नागरिकों के हित लाभ हेतु विस्थापन एवं पुनर्वास एवं पुनर्वास आयोग का गठन करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	RFCTLARR Act, 2013 में विस्थापन आयोग के गठन का प्रावधान नहीं है। विस्थापन आयोग का गठन के संबंध में सरकार का कोई निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08ए० / भू०अ०नि०, (वि०स०) तारां०–108 / 2023.....613...../ राँची, दिनांक–...02-08-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1763, दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200(दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/8/23

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 232 (SOHAN)

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–02 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे गढ़वा जिलें में वर्ष 2014 से अबतक पथ निर्माण विभाग के द्वारा कई पथों का निमार्ण कराया गया है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पथों के निर्माण के पश्चात् कई ग्रामीणों / रैयतों का जमीन अधिग्रहण किया गया है, जिसकी मुआवजा राशि का भुगतान अभी तक लम्बित है;	गढ़वा जिला में वर्ष 2014 से अबतक 05 पथों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्रवाई की जा रही है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :– 1. रमना विशुनपुरा पथ चौड़ीकरण अंतर्गत रैयतों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा रहा है। 2. बिलासपुर धुरकी पथ चौड़ीकरण योजना में धारा 19 के तहत् अधिघोषणा की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। रैयतों को मुआवजा भुगतान से संबंधित अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। 3. NH-75 से बंशीधर मंदिर पथ अंतर्गत धारा–19 के तहत् अधिघोषणा की कार्रवाई की जा रही है। 4. धुरकी प्रखण्ड के बालचौरा गांव के समीप उच्च स्तरीय सेतु के पहुँच पथ अंतर्गत शेष 1074130.00 (दस लाख चौहतर हजार एक सौ तीस) रू० की राशि की मांग कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमण्डल गढ़वा द्वारा की गई है। राशि उपलब्ध होने के पश्चात् भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्रवाई पूर्ण कर दी जायेगी। 5. हुर मोड़ डालटेनगंज बॉर्डर पथ योजना अंतर्गत धारा 19 के तहत् भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। उपरोक्त क्रम संख्या–02, 03, 04 एवं 05 में अंकित परियोजनाओं में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act, 2013) के तहत् निर्धारित भिन्न–भिन्न चरणों में भूमि अर्जन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। विहित प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् नियमानुसार यथोचित मुआवजा भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्ष 2014 से लेकर अबतक जितनी भी पथों को निर्माण किया गया है उसमें अधिगृहित जमीन के एवज में ग्रामीणों को लम्बित मुआवजा की राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–02 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08ए० / भू०अ०नि०, (वि०स०) तारां०–107 / 2023.....621/रा०, राँची, दिनांक–03-08-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1764, दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200(दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23

सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 243 (SOHAN)

श्री समीर कुमार मोहन्ती, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सख्या– स–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरागोड़ा, चाकुलिया एवं गुडाबॉधा मे संचालित है;	स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त तीनों सामुदायिक केन्द्रों में सीजेरियन ऑपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि सीजेरियन ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं होने के कारण आपातकालीन स्थिति में गर्भवती महिलाओं को जमशेदपुर, उड़ीसा के बारिपदा, पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम, जिसकी दूरी क्रमशः 80 कि0मी0 70 कि0मी0 तथा 35 कि0मी0 है, ले जाया जाता है, जिससे जच्चे–बच्चे की जान का खतरा बना रहता है;	स्वीकारात्मक। आपातकालीन स्थिति में गर्भवती महिलाओं सदर अस्पताल, जमशेदपुर/एम0जी0एम0 अस्पताल, जमशेदपुर में 108 एम्बुलेंस से लाया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बहरागोड़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कम से कम किसी एक सामुदायिक केन्द्र में सीजेरियन ऑपरेशन का उचित प्रबंध करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने पर रिक्ति एवं आवश्यकता के आलोक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–24/2023 -197(अ) स्वा0 राँची, दिनांक– 03/08/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके 1867/वि0स0 रॉची, दिनांक 25.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.23
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–24/2023 -197(अ) स्वा0 राँची, दिनांक– 03/08/2023

प्रतिलिपि:–उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रभारी प्रशाखा–17 को सूचनार्थ प्रेषित।

03.08.23
सरकार के उप सचिव।

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–12 का प्रश्नोत्तर :–

	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि, राज्य के कई जिलों समेत गोड्डा जिला अन्तर्गत अनुमंडलाधिकारी, अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक, अमीन जैसे कर्मियों के लेट लतीफी के कारण R.T.S (राईट टू0 सर्विस) का अनुपालन नहीं हो रहा है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि, गोड्डा विधान सभा अन्तर्गत प्रमंडलीय आयुक्त–दुमका के न्यायालय केश नं0–R.M.A-49-2020-21 संजय प्रकाश कर्ण ग्राम प्रधान–चौरा–पथरगामा को आदेश के बावजूद पट्टा का आदेश नहीं मिल पाया है ;	अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा प्रतिवेदत किया गया है कि संजय प्रकाश कर्ण को पी0ए0 केस नं0–322/2007–08 में पारित आदेश दिनांक–30.07.2009 के द्वारा आवेदक संजय प्रकाश कर्ण को मौजा चौरा अंचल पथरगामा का विधिवत प्रधान नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश दिनांक–30.07.2009 के विरूद्ध उपायुक्त गोड्डा के न्यायालय में आर0एम0ए0 केस नं0–12/2009–10 दाखिल किया गया जिसमें दिनांक–18.01.2021 को आवेदक का नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया गया। फलस्वरूप आवेदक द्वारा आयुक्त संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 केस नं0–49/2020–21 दाखिल किया गया। आयुक्त द्वारा उपायुक्त गोड्डा के द्वारा पारित आदेश दिनांक–18.01.2021 को निरस्त करते हुए तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया। इसी क्रम में यह मामला W.P. (C) No-1203/2023 संजय प्रकाश कर्ण बनाम झारखण्ड राज्य माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची में लंबित है।
3	क्या यह बात सही है कि, वीरवल मंडल, पिता–स्व0 भोला नाथ मंडल, ग्राम–भतडीहा, गोड्डा मौजा–सरौनी दाग नं0–975 जमाबन्दी नं0–44 को गेंजर सटेलमेन्ट के आधार पर संतोष साह वगैरह मौजा–सरौनी दाग नं0–969 खाता नं0–345 के पक्ष में R.M.A-23-2020-21 केश को खारिज होने के बावजूद अब तक जमीन का स्वामित्व के साथ संतोष कुमार साह ग्राम–सैदापुर अंचल–गोड्डा का जमीन संबंधी अंचलाधिकारी के पत्रांक–1088/R/दिनांक–21.09.2022 के आलोक में रैयत को जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है ;	मौजा–सरौनी, थाना नं0–441, जमाबंदी नं0–44, दाग नं0–975, रकबा–00–09–14 धुर जमाबंदी रैयत जीवन मंडल वल्द पंचु मंडल कौम सुड़ी साकिन–देह के नाम से गेंजर सर्वे खतियान एवं पंजी II में दर्ज है। कैफियत कॉलम में दखल विशुनाथ मंडल बेटा रैयत दर्ज है। बीरबल मंडल दखल रैयत वीशुनाथ मंडल के परनाती है। मौजा–सरौनी, थाना नं0–441, जमाबंदी नं0–44, दाग नं0–975 के अंदर 00–03–00 धुर भूमि श्रीमान् लेख्य प्रमाणक, गोड्डा के शपथ पत्र

		सं0–8779, दिनांक– 30.03.1996 के माध्यम से जमाबंदी रैयत के वारिशान सुभाग्या देवी पिता–स्व0 आंनद मंडल ने भैरव मरीक को दान स्वरूप दिया गया है। संतोष साह वगैरह मौजा–सरौनी, खाता सं0–345, दाग नं0–969 के सीमांकन की कार्रवाई की जा रही है। संतोष कुमार साह ग्राम सैदापुर को दिनांक–24.07.2023 को दखल दिलाया गया है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–02 एवं 03 के आलोक में मामले का निष्पादन करने तथा खण्ड–1 के आलोक में ऐसे लापरवाह पदाधिकारी, कर्मी पर कौन सा कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–02 एवं 03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–05/स0भू0 वि0स0 गोड्डा (तारां0)–132/2023..2628..(05)/रा0, राँची, दिनांक–03-8-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1931/वि0स0, दिनांक–26.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23

सरकार के अवर सचिव।

G:\Lakra Sir\Bidhansabha ques. answ.docx.3.docx (Hema)

215

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– 15 का उत्तर सामग्री–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सृजित पदों के अनुरूप चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। धनबाद जिला के निरसा प्रखण्ड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निरसा में चिकित्सक के 7 पद स्वीकृत हैं। जिसके विरूद्ध 4 चिकित्सक पदस्थापित हैं तथा 1 चिकित्सक प्रतिनियुक्त हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निरसा में निम्न चिकित्सक पदस्थापित / प्रतिनियुक्त हैं– 1. डॉ0 ईला राय 2. डॉ0 पुष्पा 3. डॉ0 श्वेता 4. डॉ0 मुकेश कुमार सिंह 5. डॉ0 मृणाल श्रीवास्तव (प्रतिनियुक्त)
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दवा तथा अन्य चिकित्सा संबंधी उपकरण का अभाव है;	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निरसा में आवश्यक दवा तथा अन्य चिकित्सा उपकरण आदि उपलब्ध है, जिससे ग्रामीणों एवं अन्य लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3.	क्या यह बात सही है कि चिकित्सक, दवा तथा सुविधाओं के अभाव के कारण आस–पास के ग्रामीणों बीमार बच्चे, बुजूर्ग तथा महिलाओं को काफी परेशानी होती है तथा उन्हें ईलाज की बेहतर सुविधा नहीं मिल पाती है;	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निरसा में चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी कार्यरत हैं। दवा उपकरण उपलब्ध है तथा आमजनों को उपचार एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र में सृजित पदों के अनुरूप चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति, स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, दवा और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चिकित्सकों के नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। झारखण्ड लोक सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत चिकित्सकों के उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

<u>स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</u>

ज्ञाप सं0– 03 / वि0स0–03–36 / 2023 1204 (3) राँची, दिनांकः 01.08.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1933 / वि0स0 दिनांक 26.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.2023

सरकार के अपर सचिव

ज्ञाप सं0– 03 / वि0स0–03–36 / 2023 1204 (3) राँची, दिनांकः 01.08.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.2023

सरकार के अपर सचिव

(216)

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–06 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री किशुर कुमार दास, मा०स०वि०स०	उत्तर माननीय (प्रभारी) मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के प्रखण्ड सिमरिया अंतर्गत ग्राम ईचाक खुर्द में कुल 58 परिवार लगभग 100 वर्षो से स्थायी रूप से निवास (खेती–बाड़ी, पक्का मकान निर्माण) करते आ रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक। ग्राम ईचाक खुर्द में लगभग 30 से 35 परिवार लंबे समय से निवास करते आ रहे हैं, उक्त ग्राम का भूमि किस्म गैरमजरूआ खास जंगल–झाड़ी हैं।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित परिवारों का आवाशन सह अन्य संरचना शिवपूर–कठौतिया न्यू बिजी रेल लाईन निर्माण में बीचों–बीच आ जा रही है जिसके कारण भुगतभोगी परिवारों पर विस्थापन का खतरा मण्डरा रहा है;	शिवपुर–कठौतिया न्यू बिजी रेल लाईन निर्माण में चिन्हित भूमि का मापी कार्य चल रहा है। मापी उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
3	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 एवं 02 में वर्णित परिवार भूतपूर्व जमींदार द्वारा बजरीये हुकुमनामा से गैरमजरूआ मालिक जमीन का विधिवत् जमीनदारी रिर्टन दाखिल कर मालिकाना हक प्राप्त किये है और भू–लगान अद्यतन भुगतान की जा रही है;	सभी रैयतों को नोटिस देकर राजस्व कागजात की मांग की गई है। सुनवाई के उपरांत समुचित कार्रवाई की जायेगी।
4	क्या यह बात सही है कि खण्ड–03 में वर्णित हुकुमनामा एवं जमीनदारी रिर्टन के बावजूद रैयतों को मुआवजा एवं पुनर्वास की नीति से वंचित कर बेघर करने का षडयंत्र रचा जा रहा है जो कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त के प्रतिकुल है;	अस्वीकारात्मक।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भुक्तभोगी 58 परिवारों को पहले मुआवजा देने तथा बेहतर पुनर्वास करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू–अर्जन निदेशालय)

ज्ञापांक–08ए०/भू०अ०नि०, (वि०स०) तारां०–109/2023..620/भू०अ० राँची, दिनांक–03-8-2023

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञापांक–1857, दिनांक–25.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200(दो सौ) प्रतियों के साथ/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ विभागीय (प्रभारी) मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/8/23
सरकार के अवर सचिव।

D:\Nide\Vidhanshabha.docx 240 (SOHAN)

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.08..2023 को सदन से पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या स0–17 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1.क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2020–21 में भेजा गया था ;	स्वीकारात्मक।
2.क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने से जिलें के लोगों एवं अगल–बगल के जिला एवं सेट अन्य राज्य (छत्तीसगढ़, उड़ीसा) के मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ;	स्वीकारात्मक।
3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जल्द सिमडेगा जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	वित्तीय वर्ष 2023–24 में सिमडेगा जिले में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष में राँची एवं बोकारो में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–09 / विधायी / 06–12 / 2023–406(9)......................स्वा0, राँची, दिनांकः–3/8/23

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1970 वि0स0, दिनांक–27.07.2023 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.8.23

अवर सचिव।

218

श्री किशुन कुमार दास, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– 08 का उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत पत्थलगड्डा प्रखंड मुख्यालय में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन विगत नौ वर्ष से बनकर तैयार है;	स्वीकारात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन वर्ष 2015 में हस्तगत होने के पश्चात् स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा रही है।
2.	क्या यह बात सही है कि उदघाटन काल से अबतक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति एवं चिकित्सकीय उपकरण की आपूर्ति नहीं हो पायी है, जिसके कारण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है;	डॉ0 अजहर, संविदा चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है तथा सोमवार एवं बुधवार को पत्थलगड्डा एवं शेष दिन सदर अस्पताल, चतरा में प्रतिनियुक्त है। डॉ0 राजेश कुमार संविदा चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है तथा चिकित्सकों की कमी के कारण सदर अस्पताल, चतरा में प्रतिनियुक्त है। दवा एवं चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ग्रामीणों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त भवन को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति एवं चिकित्सकीय उपकरण की आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पत्थलगड्डा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–35/2023 1216(3) राँची, दिनांक: 03/08/2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 1863/वि0स0 दिनांक 25.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/8/23

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0– 03/वि0स0–03–35/2023 1216(3) राँची, दिनांक: 03/08/2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा– 17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/8/23

सरकार के अवर सचिव

(219)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.08.2023 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या स–01 के संबंध में।

क्र0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज सदर प्रखण्ड के सुदूर दुर्गम क्षेत्र कारगिल दियारा तथा गोपालपुर दियारा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित नहीं रहने तथा राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत मंगलहाट कन्हैयास्थान में अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं होने तथा चिकित्सकों के अभाव के कारण स्थानीय आमजन को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। साहेबगंज प्रखण्ड अन्तर्गत गोपालपुर, दियारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र सकरीगली एवं स्वा0 उपकेन्द्र, सकरीगली परिवार कल्याण के अंतर्गत आता है, जहां एक सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सी0एच0ओ0), तीन ए0एन0एम0 एवं दो बहुद्देशीय कार्यकर्त्ता (एम0पी0डब्ल्यू0) पदस्थापित हैं। कारगिल दियारा स्वा उपकेन्द्र किशन प्रसाद के अंतर्गत आता है। यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सी0एच0ओ0),एवं दो ए0एन0एम0 के द्वारा उक्त क्षेत्र की जनता को चिकित्सकीय सुविधा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत मंगलहाट एवं कन्हैयास्थान में हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर स्थापित एवं संचालित है। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर मंगलहाट में एक सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सी0एच0ओ0), एक ए0एन0एम0 एवं एक बहुद्देशीय कार्यकर्त्ता (एम0पी0डब्ल्यू0) तथा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर कन्हैयास्थान में एक सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी(सी0एच0ओ0), एक ए0एन0एम0 तथा एक बहुद्देशीय कार्यकर्त्ता (एम0पी0डब्ल्यू0) कार्यरत हैं। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर मंगलहाट 7 कि0/मी0 एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर कन्हैयास्थान 10 कि0/मी0 की दूरी पर अनुमण्डल अस्पताल, राजमहल स्थित है।
2	क्या यह बात सही है कि उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत राधानगर, जोंका, पियारपुर, फुदकीपुर स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों (विशेषकर महिला चिकित्सक) के अभाव के कारण स्थानीय आमजन चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने में कठिनाईयाँ हो रही है;	अस्वीकारात्मक। उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम राधानगर में प्रा0स्वा0उपकेन्द्र, राधानगर संचालित है, जहाँ एक महिला चिकित्सा पदाधिकारी, एक सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सी0एच0ओ0) एवं एक ए0एन0एम0 पदस्थापित हैं एव क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। ग्राम जोंका में स्वास्थ्य उपकेन्द्र जोंका संचालित है, जहाँ एक ए0एन0एम0 पदस्थापित हैं एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। ग्राम पियापुर स्वा0 उपकेन्द्र अमानत के अन्तर्गत आता है, जहाँ एक ए0एन0एम0 पदस्थापित है। उनके द्वारा क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। ग्राम फुदकीपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुदकीपुर संचालित है, जहाँ एक चिकित्सा पदाधिकारी, एक सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी(सी0एच0ओ0), दो ए0एन0एम0 एवं एक बहुद्देशीय कार्यकर्त्ता (एम0पी0डब्ल्यू0) पदस्थापित हैं।
3	क्या यह बात सही है विभागीय पत्रांक–163(5)ब यो0/स्वा0 दिनांक–03.02.2023 के आलोक में उधवा प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 11 करोड़	स्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उधवा के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

	की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के बावजूद निर्माण कार्य आजतक प्रारम्भ नहीं हो पाई है;	
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने सहित चिकित्सकों का पदस्थापन तथा खण्ड–03 में वर्णित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों?	साहेबगंज प्रखण्ड अन्तर्गत गोपालपुर दियारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र सकरीगली एवं स्वा0 उपकेन्द्र, सकरीगली परिवार कल्याण के अन्तर्गत है, कारगिल दियारा स्वा उपकेन्द्र राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत है एवं मंगलहाट एवं कन्हैयास्थान में हेल्थ एण्ड वेलनेश सेन्टर कार्यरत है, जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, ए0एन0एम0 एवं बहुद्देशीय कार्यकर्त्ता (एम0पी0डब्ल्यू0) कार्यरत है एवं आम–जनों को चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उधवा के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5 / पी0 वि0स0 (ता0)–36 / 2023– 798(5) स्वा, राँची, दिनांकः 01.08.2023

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप0 सं0 1757 वि0स0, राँची, दिनांक–23.07.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01-08-2023

अवर सचिव।

ज्ञापांकः–5 / पी0 वि0स0 (ता0)–36 / 2023– 798 (5) स्वा, राँची, दिनांकः 01.08.2023

प्रतिलिपिः– सरकार के अपर सचिव, प्रशाखा–17 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

01.08.2023

अवर सचिव।

(220)

झारखण्ड विधानसभा में श्री विनोद कुमार सिंह , माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 स–13 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बगोदर, में ट्रॉमा सेंटर प्रारम्भ हुए 6 माह हो गए है,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सह ट्रॉमा सेंटर, बगोदर में अभी तक कोई अस्थि रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है,	दिनांक 14.01.2023 को ही रक्त संग्रह केन्द्र का उद्घाटन अनुज्ञप्ति प्राप्त कर किया गया है। रक्त केन्द्र, गिरिडीह से रक्त की आपूर्ति आवश्यकतानुसार मांग के आधार पर की जाती है। विज्ञापन निकालकर आउटसोर्सिंग एजेंसी से **Walk in Interview** के आधार पर विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। रेडियोलॉजिस्ट की अनुपलब्धता के कारण अल्टासाउण्ड केन्द्र की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध होने पर सुविधा आरंभ कर दी जाएगी। पोर्स्टमाटम हाउस निर्माण के पश्चात इसके संचालन हेतु निदेशक प्रमुख को प्रेषित पोस्टमार्टम औचित्य संबंधी प्रतिवेदन के आलोक में निदेशक प्रमुख द्वारा सिविल सर्जन गिरिडीह से पोस्टमार्टम हाउस के लिए रक्षित मानकों यथा–भवन का क्षेत्रफल, भवन की संरचना, आवश्यक उपस्कर एवं उपकरण, प्रशिक्षित मानवबल इत्यादि सुविधाओं से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई है। सिविल सर्जन, गिरिडीह से वांछित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगोदर में मरीजों के सुविधा हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों को पदस्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग को कुल 836 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजी गई है। आयोग से अनुशंसा प्राप्त होने पर रिक्ति एवं आवश्यकता के आलोक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगोदर मे विशेषज्ञ चिकित्सकों को पदस्थापित किया जाएगा।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 08/विधान सभा प्रश्न (तारांकित)–06/2023 / 02(08) राँची, दिनांक– 03-08-2023

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–1868 वि0 स0 दिनांक–25.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(विद्यानन्द शर्मा पंकज)
सरकार के संयुक्त सचिव

(221)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–04.08.2023 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स0वि0स0	माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०– 4/स०भू० नीति– 154/2016–5504/रा०, दिनांक– 07.10.2016 के आलोक में धनबाद जिलान्तर्गत बलियापुर अंचल के रघुनाथपुर मौजा, खाता सं०– 220, रकबा– 19.34 एकड़ गोचर भूमि को उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक– 4211, दिनांक– 16.06.2021 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई थी ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदानुसार उपायुक्त, धनबाद कार्यालय के पत्रांक– 4211, दिनांक– 16.06. 2021 से नगर विकास एवं आवास विभाग को प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण किया गया है, जो गोचर भूमि नहीं है, बल्कि प्रश्नगत् भूमि का किस्म पुरातन परती, काबिल आबाद, कनाली इत्यादि दर्ज है ।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड(1) में वर्णित पंचायती राज्य के अंतर्गत आता है तथा उक्त भूमि में जानवरों का चारागाह, हजारों पौधे, श्मशान घाट, तालाब एवं विद्यालय अवस्थित है, वर्तमान में धनबाद नगर निगम द्वारा वेस्ट टू एनर्जी के तहत् नगर निगम कचरा निस्तारण प्लांट बनाना चाहती है, जिससे उक्त मौजा के आस–पास निवास करने वाले ग्रामीण प्रदूषण एवं गंदगी के भय से कचरा निस्तारण प्लांट निर्माण कार्य का विरोध कर रहें है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदानुसार प्रश्नगत् भूमि ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत अवस्थित है तथा उक्त भू–खण्ड वर्त्तमान में परती एवं पेड़–पौधों व जंगल– झाड़ी से आच्छादित है । ग्रामीण प्रदुषण, गन्दगी के भय से उक्त योजना का विरोध हस्तांतरण की प्रक्रिया के पूर्व से ही किया जा रहा है ।
3	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक– 4211, दिनांक– 16.06.2021को हस्तांतरण की स्वीकृति शर्त्तो के साथ दिया गया था, जिसमें क्र०सं०– 1 में उल्लेख किया गया है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तांतरित की जा रही है, उस प्रयोजन हेतु संबंधित विभाग के द्वारा 06(छः) महीने के अंदर कार्य प्रारंभ नहीं करने पर एवं 12 महीने के अंदर उसका उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगा ;	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त, धनबाद के प्रतिवेदानुसार प्रश्नगत् भूमि पर ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण योजना का कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया जा सका है । उक्त विरोध के आलोक में DIMSLWL के सिनियर पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 29.11.2021 को बलियापुर थाना में शिकायत–पत्र समर्पित किया गया है । साथ ही अंचल अधिकारी, बलियापुर के आवेदन पर बलियापुर थाना काण्ड सं०– 102, दिनांक– 12.07.2023 दर्ज किया गया है ।
	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित अंचल के भूमि को पुनः नगर विकास एवं आवास विभाग से राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग हस्तांतरण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में भूमि वापस लेने से संबंधित कोई भी मामला विभाग में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–5/स०भू० धनबाद वि०स०(तारां०)–123/2023 2578 (5)/रा0 राँची, दिनांक– 01-08-2023

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0–1765/वि0स0, दिनांक–23.07.2023 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय झारखण्ड, राँची/माननीय प्रभारी मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)
सरकार के अवर सचिव।

222

डॉ इरफान अंसारी, माननीय स० वि० स० द्वारा दिनांक–04.08.2023 को सदन में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या सं० स०–18 का उत्तर प्रतिवेदन के संबंध में।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि ज़ामताड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पियालसोला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत वृहत क्षेत्र है,	आंशिक स्वीकारात्मक। जामताड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखण्ड जामताड़ा के ग्राम पंचायत पियालसोला की आबादी 6171 है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त पंचायत के मरीजों को बेहतर चिकित्सा एवं छोटी–छोटी बीमारी के लिए धनबाद या बंगाल जाना पड़ता है,	आई०पी०एच० मानक के अनुसार पियालसोला में स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है। पियालसोला से नजदीक संचालित स्वास्थ्य केन्द्रों की लगभग दूरी निम्न प्रकार है– (क) स्वास्थ्य उपकेंद्र, जियाजोरी – 04 कि०मी० (ख) स्वास्थ्य उपकेंद्र, शहरडाल – 04 कि०मी० (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मिहिजाम–09 कि०मी० (घ) सदर अस्पताल, जामताड़ा–16 कि०मी० ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आई०पी०एच० मानक के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हेतु 1,20,000 की जनसंख्या निर्धारित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हेतु पियालसोला की आबादी मानक के अनुरूप नहीं है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांकः–5/पी० वि० स० (ता०)–45/2023– 810(5) स्वा०, राँची, दिनांकः 03.08.2023

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप० सं० प्र०–1971 वि०स०, राँची, दिनांक–27.07.2023 के आलोक में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.2023

अवर सचिव

ज्ञापांकः–5/पी० वि० स० (ता०)–45/2023– 810(5) स्वा०, राँची, दिनांकः 03.08.2023

प्रतिलिपिः अपर सचिव – प्रशाखा–17, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

03.08.2023

अवर सचिव

(223)

डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 04.08.2023 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सख्या– स–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पाँकी विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे पलामू जिला में प्रतिवर्ष सैकड़ो लोग सर्पदंश से अपनी जान गँवा देते है;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्पदंश से बचाव हेतु एंटी वेनम इंजेक्शन तथा त्वरित उपचार नहीं मिल पाने के कारण अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है;	अस्वीकारात्मक। एंटी वेनम इंजेक्शन जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध है। सर्पदंश से मृत्यु एंटी वेनम इंजेक्शन (AVS) की कमी या ईलाज में विलंब के कारण प्रतिवेदित नही हुई है। वल्कि कुछ मृत्यु अस्पताल में विलंब से आने और भय/डर के कारण होती है या अंधविश्वास में पड़कर ईलाज देर से कराने पर होता है।
3	क्या यह बात सही है कि अधिकांश सर्पदंश प्रभावितों को राँची रेफर कर दिया जाता है, जिसकी दूरी अधिक होने के कारण समय पर चिकित्सा नहीं मिल पाती है;	अस्वीकारात्मक। मरीज को प्राथमिक उपचार करने के बाद मरीज की स्थिति अनुसार बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु उच्चतर चिकित्सा संस्थान में रेफर किया जाता है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी वेनम इंजेक्षन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	पलामू जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एंटी वेनम इंजेक्शन (AVS) उपलब्ध है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–22/2023 179(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 03/08/2023

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके 1866/वि0स0 राँची, दिनांक 25.07.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.23

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं0 : 21/वि0स0–06–22/2023 179(21) स्वा0 राँची, दिनांक– 3/8/2023.

प्रतिलिपिः–उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रभारी प्रशाखा–17 को सूचनार्थ प्रेषित।

03.08.23

सरकार के उप सचिव।